न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलासा श्री हीरालाल मीना, आ.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 430/2018

वादी :– ओमप्रकाश पुत्र श्री चैनाराम, जाति जाट, निवासी नेतड़िया, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. अनिल पुत्र श्री चैनाराम
2. ममता पुत्री श्री चैनाराम
3. चैनाराम पुत्र श्री रामनारायण
4. इन्द्रादेवी पुत्री श्री रामनारायण
5. शोभादेवी पुत्री श्री रामनारायण
6. पप्पुदेवी पुत्री श्री रामनारायण
7. गंगादेवी पत्नी श्री रामनारायण

   सभी जाति जाट, निवासीगण नेतड़िया

   तहसील मेड़ता, जिला नागौर।
8. तहसीलदार मेड़ता।

दावा घोषणा खातेदारी, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक :–24.08.2018

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी ने दावा बाबत घोषणा खातेदारी, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनों सगे भाई है, प्रतिवादी संख्या 3 इनकी बहन है तथा प्रतिवादी संख्या 4 इनके पिता है, प्रतिवादी संख्या 5, 6 व 7 वादी की बुआ है। प्रतिवादी

Scanned by CamScanner

संख्या 8 वादी की दादी है। सभी हिन्दू है, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से गर्वन होते है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 सभी रामनारायण पुत्र श्री प्रभुराम के विधिक उत्तराधिकारीगण है। मौजा नेतड़िया की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 136 रकबा 2.78 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 254 रकबा 4.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 368 रकबा 3.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 659 रकबा 1.36 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 204 रकबा 0.74 हैक्टेयर में से रकबा 0.05 हैक्टेयर की जमीन की जमीन वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि है। उक्त खसरान की जमीन पूर्व में रामनारायण पुत्र श्री प्रभुराम की खातेदारी की थी। उनके स्वर्गवास के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 ने वादग्रस्त खसरान की जमीन का मौके पर बंटवाड़ा कर लिया, सभी अलग–अलग काश्त व काबिज है। प्रतिवादी संख्या 3 से 8 ने वादग्रस्त खसरान की जमीन में कोई हिस्सा बंट में नही लिया और उक्त खसरान की जमीन में अपने बंट की एवज में अलग से नगदी व गहने प्राप्त कर लिये। इस प्रकार वादग्रस्त खसरान की जमीन का बंटवाड़ा आज से 2 वर्ष पूर्व पक्षकारान ने आपस में आपसी सहमति व रजामंदी से किया। जो अर्जीदावा के पैरा संख्या 2 में वर्णितानुसार है। वादग्रस्त खसरान की जमीन का बंटवाड़ा ऊपर बताये अनुसार करने के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने अपने बंट की भूमि पर काश्त व काबिज है, मगर राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम खातेदारी का इन्द्राज चला आ रहा है। मगर राज्य सरकार की

Scanned by CamScanner

योजना अन्तर्गत वादी को सम्पूर्ण लाभ नही मिल रहा है। इस वजह से वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 को कानूनी बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाकर वादी को उसके बंट की भूमि की खातेदारी वादी के नाम करवाने हेतु कई बार कहा, मगर प्रतिवादी संख्या 2 हमेशा कुछ न कुछ बहाना बनकर टामलटोल कर रहा है। इस वजह से वादी को कानूनी बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाकर यह वाद पेश करना ज9 री हुआ। जिससे वादी यह वाद पेश कर रहा है। वादग्रKत जमीन वादी की पैतक़ भूमि है। वादी को जन्म से ही खातेदारी हक व अ.िकार प्राIT है। बंटवाड़ा के बाद अपने बंट की भूमि पर वादी πांतिपूर्वक काश्त व काबिज है। इस वजह से वादी अपने बंट की भूमि की खातेदारी अपने नाम करवाने हेतु यह वाद पेश कर रहा है। अत%अर्जीदावा के पैरा संख्या 6 अनुसार दावा डि ी P रमाया जावें।

2, वादी ने अपने पyा समर्Eान में मौजा नेतड़िया की जमाबंदी सम्वत् 2/62 से 2/64, खाता संख्या 226, 28, नCशा टेस्र की प्रतियां की पेश की।

2, दावा दर्ज रजिKटर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वाKते जवाबदेही तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 0 व 2 से 6 तEा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ने राजीनामा पेश किया तEा प्रतिवादी संख्या 0 व 2 से 6 व 2 ने इकबालिया जवाबदावा पेश कर दावे की ताईद की। प्रतिवादी संख्या 7 का सम्मन तारीख पेशी /7,/7,2/07 को तामील सुदा प्राIत, आवाज लगायी गई अनुपस्थित रहने से दिनांक /8,/7,2/07 को एकतरP I कार्यवाही अमल में लायी है।

Scanned by CamScanner

4. विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि प्रश्तगत भूमि पक्षकारान की पैतृक है। जिसका पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

आदेश

6.(1) वादी ओमप्रकाश के बंट में :– मौजा नेतड़िया की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 254 रकबा 4.29 हैक्टेयर में से 2.83 हैक्टेयर उत्तरी तरफ की व खसरा नम्बर 659 रकबा 1.36 हैक्टेयर की पूरी जमीन बंट व खातेदारी में रहेगी।

6.(2) प्रतिवादी संख्या 1 अनिल के बंट में :– मौजा नेतड़िया की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 136 रकबा 2.78 हैक्टेयर की पूरी जमीन व खसरा नम्बर 254 रकबा 4.29 हैक्टेयर में से दक्षिणी तरफ की रकबा 1.46 हैक्टेयर की जमीन बंट व खातेदारी में रहेगी।

6.(3) प्रतिवादी संख्या 2 चैनाराम के बंट में :– मौजा नेतिड़या की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 368 रकबा 3.65 हैक्टेयर की पूरी जमीन व खसरा नम्बर 204 रकबा 0.74 हैक्टेयर में से रकबा 0.05 हैक्टेयर की पूरी जमीन बंट व खातेदारी में रहेगी।

7. प्रतिवादी संख्या 3 से 8 ने वादग्रस्त खसरान की भूमि में कोई बंट नही लिया। जिससे प्रतिवादी संख्या 3 से 8 के हक तर्क की स्टाम्प ड्यूटी तथा बंटवाड़े की स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय

Scanned by CamScanner

का स्थगन आदेश नही हो, अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही तथा भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हीरालाल मीना
उपखण्ड अधिकारी,
मेड़ता

Scanned by CamScanner